

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेटमों (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क) के अंतर्गत

परमिशन वाद संख्या 63 वर्ष 2016

आवेदक-रामधन मांझी

क्रेता- हेमलाल मांझी वगैरह

ग्राम - टीकाहारा

ग्राम - टीकाहारा

थाना - महुंआटांड जिला-बोकारो

थाना - महुंआटांड जिला- बोकारो

आदेश की क्र० 10 एवं तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख : साथ। 03
------------------------------------	---	--

आदेश

यह वाद आवेदक- रामधन मांझी पिता स्व० गुलू मांझी, मोहन मराण्डी पिता स्व० शनिचर मराण्डी, सलीफ मांझी पिता स्व० बाबुराम मांझी तीनों ग्राम टीकाहारा महुंआटांड जिला-बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(क) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवत:-

मौजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट न०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
टीकाहारा	137	27	1196	02 डी०	02 डी०	कृषि योग्य
			1195	25 डी०	25 डी०	कृषि योग्य
			1197	03 डी० 0	03 डी०	कृषि योग्य
				कुल 30 डी०		

को वे हल बैल खरीदने एवं पारिवारिक खर्च हेतु मो० 100000/- (एक लाख) रुपये में क्रेता- हेमलाल मांझी, सूरजलाल मांझी दोनों पिता स्व० ओझा मांझी ग्राम टीकाहारा थाना-महुंआटांड जिला- बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत किया गया तथा इस कार्यालय के पत्रांक 400/रा० दिनांक 27.07.2016 के माध्यम से अंचल अधिकारी, गोमिया से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, गोमिया के पत्रांक 819 दिनांक 27.09.2016 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:-

- 01 बिक्रेता एवं क्रेता दोनों संताल जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जन जाति के अंतर्गत आते हैं। बिक्री एवं क्रेता दोनों ग्राम-टीकाहारा थाना-महुंआटांड जिला-बोकारो का निवासी हैं।
- 02 बिक्री की जाने वाली भूमि फुगलाई मांझी के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है एवं उसकी जमाबन्दी पंजी-महतो मांझी के नाम से चल रहा है तथा वर्ष 2015-16 तक लगान रसीद निर्गत है।
- 03 जमाबन्दीधारी रैयत बिक्रेता के दादा एवं परदादा है तथा आवेदित भूमि बिक्रेता के हक व हिस्से में है एवं उसपर बिक्रेता का दखल कब्जा है। उक्त भूमि केवाल द्वारा हासिल है।
- 04 प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी०सी०एल० अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है। उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता रामधन मांझी के द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन उनके फुगलाई मांझी के नाम सर्वे खतियानी

C.C. 18844
29/10/16

जमीन है तथा उक्त जमीन की जमाबन्दी पंजी-II में महतो माँझी के नाम से चल रही है। उक्त जमाबन्दी में वर्ष 2015-16 तक लगान रसीद निर्गत है। बिक्री वाली जमीन उनके पूर्वज के हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:-

01 विक्रेता- महतो माँझी के नाम के नाम से निबन्धित केवाला सं०-1517 के सरकारी लगान रसीद एवं तीनों के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

02 क्रेता- दोनों के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी गोमिया से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष संताल जाति के हैं, जो अनुसूचित जन जाति के अंतर्गत आते हैं तथा एक ही ग्राम, थाना एवं जिलान्तर्गत निवास करने वाले हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के परदादा के हिस्से की खतियानी जमीन है, जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

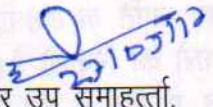
अतः आवेदक— रामधन माँझी पिता स्व० गुलू माँझी, मोहन मराण्डी पिता स्व० शनिचर मराण्डी, सलीफ माँझी पिता स्व०-बाबुराम माँझी ग्राम टीकाहारा महुआटांड जिला- बोकारो को निम्नांकित भूमि :-

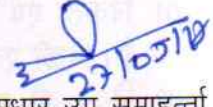
मौजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट न०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उ० सीमा	द० सीमा	पूरब सीमा	प० सीमा
टीकाहारा	137	27	1196	02 डी०	02 डी०	रास्ता	पच्चु हेम्ब्रम	विक्रेता	विक्रेता
			1195	25 डी०	25 डी०				
			1197	03 डी०	03 डी०				
कुल 30 डी०									

मो 178000/- (एक लाख अठतर हजार) रुपए या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता- हेमलाल माँझी, सूरजलाल माँझी पिता स्व० ओझा माँझी ग्राम टीकाहारा थाना-महुआटांड जिला-बोकारो को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।